रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270479
CG-DL-E-25022026-270479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 967] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 967] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

का.आ. 1011(अ).— यह कि आधार संख्या का उपयोग पहचान स्थापित करने हेतु व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं सुगम एवं निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यहकि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श के उपरांत, 2 फरवरी, 2026 के अपने पत्र सं. 13(3)/2023-ईजी-II, *के माध्यम से* वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (जिसे आगे "उक्त मंत्रालय" कहा जाएगा), भारत सरकार (जिसे आगे "उक्त सरकार" कहा जाएगा) को आधार अधिप्रमाणन सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे आगे "उक्त नियम" कहा जाएगा) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए यह अनुमति प्रदान की है कि ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड (जिसे आगे "उक्त एजेंसी" कहा जाएगा) को अधिप्रमाणित करने तथा आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जाए और उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित आधार

(वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अधीन अधिसूचित किया जाए;

और यहकि, आधार अधिप्रमाणन उपयोगकर्ताओं की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से, नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किए गए अनुसार हाँ/नहीं अथवा/और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त प्रयोजन" कहा जाएगा) किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा; और उक्त एजेंसी आधार अधिप्रमाणन केवल सिबिल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण एवं लॉग-इन के दौरान उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने के लिए ही करेगी (जिसे आगे "उपयोग प्रकरण" कहा जाएगा);

अतएव, उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित किया जाता है, अर्थात्:—

1. उक्त एजेंसी, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यहां विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन से पूर्व आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी।

2. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी देगी तथा आधार अधिप्रमाणन कराने से इंकार करने या कराने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगी, अर्थात्:—

(क) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड;

(ख) पासपोर्ट;

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र;

(घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(ङ) राशन कार्ड।

[फा. सं. 01/12/2025-सीएसएफटी]

डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

S.O. 1011(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India had allowed *vide* its letter number 13(3)/2023-EG-II, dated the 2nd February, 2026 to the Ministry of Finance, Department of Financial Services (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the TransUnion CIBIL Limited (hereinafter referred to as the said Agency) may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for the purpose of accessing credit information reports of users, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Agency shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of users during registration and login on the CIBIL platform (hereinafter referred to as the use cases);

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely:-

1. The said Agency, as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. The Aadhaar authentication shall be on voluntary basis in accordance with sub-rule (2) of rule 3 of the said rules and the said Agency shall inform to the Aadhaar number holder of the following alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Permanent Account Number (PAN) Card;
(b) Passport;
(c) Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India;
(d) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); and
(e) Ration Card.

[F. No. 01/12/2025-CSFT]

Dr. ABHIJIT PHUKON, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.